

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183]

दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 20, 2009/कार्तिक 29, 1931

[रा.रा.क्षे. दि. सं. 237

No. 183]

DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 2009/KARTIKA 29, 1931

[N.C.T.D. No. 237

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (कर एवं स्थापना) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 नवम्बर, 2009

सं. फा. 10(12)/वित्त (कर एवं स्थापना)/2009-10/जेएसएफ/491 (i).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 10 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर, दिल्ली आयुक्त के कर्तव्यों के निष्पादन में उनकी सहायता करने के लिए श्री संदीप गुलाटी को, उक्त पद ग्रहण करने तक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला आबकारी अधिकारी नियुक्त करते हैं।

सं. फा. 10(12)/वित्त (कर एवं स्थापना)/2009-10/जेएसएफ/491 (ii).—दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 (1996 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर, दिल्ली आयुक्त के कर्तव्यों के निष्पादन में उनकी सहायता करने के लिए श्री संदीप गुलाटी को, उक्त पद ग्रहण करने तक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से विलासिता कर अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

4227 DG/2009

सं. फा. 10(12)/वित्त (कर एवं स्थापना)/2009-10/जेएसएफ/491 (iii).—दिल्ली मनोरंजन एवं बाजी कर अधिनियम, 1996 (1997 का दिल्ली अधिनियम 8) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत आबकारी, मनोरंजन, बाजी कर एवं विलासिता कर, दिल्ली आयुक्त के कर्तव्यों के निष्पादन में उनकी सहायता करने के लिए श्री संदीप गुलाटी को, उक्त पद ग्रहण करने तक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मनोरंजन एवं बाजी कर अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अजय कुमार गर्ग, संयुक्त सचिव

FINANCE (TAXES AND ESTABLISHMENT)
DEPARTMENT
NOTIFICATION

Delhi, the 20th November, 2009

No. F. 10(12)/Fin. (T&E)/2009-10/JSFin./491(i).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 10 of the Punjab Excise Act, 1914 (1 of 1914), as in force in the National Capital Territory of Delhi, and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Sandeep Gulati, as District Excise Officer, to

assist the Commissioner of Excise, Entertainment and Luxury Tax, Delhi, in the discharge of his functions under the aforesaid Act, with effect from the date of assumption of charge and till such time as he holds the said post.

No. F. 10(12)/Fin. (T&E)/2009-10/JSFin./491(ii).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of the Section 7 of the Delhi Tax on Luxuries Act, 1996 (Delhi Act 10 of 1996), and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Sandeep Gulati, as Luxury Tax Officer, to assist the Commissioner of Excise, Entertainment, Betting Tax and Luxury Tax, Delhi, in the discharge of his functions under the aforesaid Act, with effect from the date of assumption of charge and till such time as he holds the said post.

No. F. 10(12)/Fin. (T&E)/2009-10/JSFin./491(iii).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section 3 of the Delhi Entertainment and Betting Tax Act, 1996 (Delhi Act 8 of 1997), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Sandeep Gulati, as Entertainment and Betting Tax Officer, to assist the Commissioner of Excise, Entertainment, Betting Tax and Luxury Tax, Delhi, in the discharge of his functions under the aforesaid Act, with effect from the date of assumption of charge and till such time as he holds the said post.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
AJAY KUMAR GARG, Jt. Secy.

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचनाएँ

दिल्ली, 20 नवम्बर, 2009

सं. फा. 6/47/93-न्यायिक/ 2111-2121.—मादक औषध एवं स्वापक पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 36 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा मादक औषध एवं स्वापक पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिये सुश्री सन्तोष स्नेही मान को श्री सुनील कुमार अग्रवाल के स्थान पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) (मध्य), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली के रूप में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करते हैं।

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND
LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATIONS

Delhi, the 20th November, 2009

No. F. 6/47/93-Judl./2111-2121.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 36 of the Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act, 1985, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints Ms. Santosh Snehi Mann as Addl.

Sessions Judge/Special Judge (N.D.P.S.), (Central), Tis Hazari Courts in place of Mr. Sunil Kumar Aggarwal for trying offences under the Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act, 1985 w.e.f. the date she takes over the charge.

सं. फा. 6/9/2001-न्यायिक/अधी.न्या./2104-2110.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की दिनांक 14 फरवरी, 1989 की अधिसूचना संख्या यू-11030/4/88-यूटीएल के साथ पठित भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्या 49) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा को श्री टी. आर. नवल के स्थान पर विशेष पुलिस स्थापना तथा दिल्ली पुलिस द्वारा जांच किए गए और भेजे गए भ्रष्टाचार के मामलों पर मुकदमा चलाने के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दिल्ली/विशेष न्यायाधीश, तीस हजारी न्यायालय के रूप में पदनामित करते हैं और वे आगे उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट करते हैं कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट सभी अपराध विशेष न्यायाधीश के द्वारा अपने कार्यालय के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सुने तथा निपटारे जायेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
सविता राव, संयुक्त सचिव

No. F. 6/9/2001-Judl./2104-2110.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Act No. 49 of 1988) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi Notification No. U-11030/4/88-UTL, dated 14th February, 1989, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to designate Mr. Narender Kumar Sharma as Additional Session Judge, Delhi/Special Judge (PC) Act-02 (CBI), Tis Hazari Court in the Court earlier presided over by Mr. T. R. Naval for trial of corruption cases investigated and sent by the Special Police establishment and the Delhi Police and he is further pleased to specify under sub-section (2) of Section 4 of the said Act, that all offences specified in sub-section (1) of Section 3 of the said Act shall be tried and disposed off by the said Special Judge with effect from the date he takes the charge.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SAVITA RAO, Jt. Secy

उर्जा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 नवम्बर, 2009

सं. फा. 11(60)/2003-उर्जा/3061.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 फरवरी, 2004 की अधिसूचना फा. सं. यू-11030/2/2003-यूटीएल के साथ पठित सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत आवासी का निष्कासन) अधिनियम, 1971 की धारा 3

